

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
29/01/2024	पत्रावली प्रस्तुत । पत्रावली मूल अपील/ निगरानी के साथ दि. १५/१२/२३ के पेश हो ।	
०५/०२/२०२४	<p>पत्रावली प्रस्तुत/ प्रकरण में मूल अपील का निर्णय हो जाने से उक्त प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी</p>	

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)
बइजलास- रवीन्द्र कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 24/2022

जीसीएमएस नम्बर 2022/30

अपीलान्त

पप्पुसिंह उर्फ करणसिंह पुत्र सरदारसिंह

जाति राजपूत निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामन जिला डीडवाना-कुचामन।

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन जिला डीडवाना-कुचामन

उपस्थित अधिवक्ता:-

1. अशोक पुरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।



अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक: 05.02.2024

- 1 यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामन के प्रकरण संख्या 113/2020 बअनवान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी बनाम श्री पप्पुसिंह में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2020 के विरुद्ध पेश की है।
- 2 अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रूपपुरा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 14.09.2020 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 18.12.2020 द्वारा अपीलान्त को ग्राम पनवाड़ी के खसरा नं. 88 कुल रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर से बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्त का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा अपीलान्त का पक्ष सुने बिना ही दिनांक 18.12.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। तथा ग्राम पनवाड़ी के खसरा नं. 88 कुल रकबा 0.40 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर से अपीलान्त को बेदखल कर लगान 0.25 का पचास गुणा से राशि रूपये 13 रूपये अक्षरे तेरह रूपये जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
- 3 अपीलान्त की अपील दिनांक 08.06.2022 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2022/933 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।
- 4 वकील अपीलान्त ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा निर्णय दिनांक 18.12.2020 अपीलान्त को बिना सुने पारित किया गया है। जिससे अपीलान्त को आक्षेपित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। वकील अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये है। वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

462
05/02/2024
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

- 5 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से ही खसरा नम्बर 88 रास्ते के रूप में काम आ रहा है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज हो।
- 6 बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का रूपपुरा की रिपोर्ट अनुसार मौजा पनवाड़ी के खसरा न. 88 कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ व डोल लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। जो हटाना आवश्यक है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है।

ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नहीं होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—:आदेश:—

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.12.2020 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

JNV
05/02/2024
(रवीन्द्र कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।



JNV
05/02/2024
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी